भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3853

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण

3853. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार और वर्ष-वार अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के छात्रों के लिए कार्यान्वित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि, लाभान्वित छात्रों की संख्या, तथा वर्तमान में लंबित आवेदनों और धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय सीमा लगभग 2.50 लाख रुपए निर्धारित होने के कारण कई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, जबकि अन्य श्रेणियों की कुछ छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आय सीमा 8 लाख रुपए तक निर्धारित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति को देखते हुए उक्त आय सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): पिछले 03 वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के छात्रों के लिए कार्यान्वित की गई विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में जारी की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

(ख): अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि के केंद्रीय हिस्से का संवितरण पूरी तरह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने हिस्से का संवितरण करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के भुगतान संबंधी अंतिम रूप से सत्यापित आंकडों को केंद्रीय हिस्से के संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने पर निर्भर करता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं तथा इन्हें संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन करना और छात्रवृत्ति राशि का संवितरण करना मुख्य रूप से संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर तथा आवश्यक दस्तावेजों और अपेक्षित अनुपालन की जांच के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी करता है। इसके बाद, संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति राशि संवितरित करते हैं।

अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति(श्रेयस), अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्चतर (टॉप क्लास) शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों का कोई राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (घ): योजनाओं की समीक्षा और संशोधन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अन्य हितधारकों सहित सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श से किया जाता है।

संलग्नक

'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वितरण' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3853, जिसका उत्तर 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पिछले 03 वर्षों के दौरान राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या:

क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी	जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी	जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी
1.	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	147.13	151922	180.59	229002	220.73	318555
2.	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	28.23	135092	86.58	41298	25.66	126993
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	220.00	45352	350.00	198676	114.99	145124
4.	अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	0.00*	129350	22.36	0	0.00*	80125
	कुल	**395.36**	**461716**	**639.53**	**468976**	**361.38**	**670797**

*जारी की गई पिछली निधियों को व्यय न किए जाने और योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण राज्य सरकार को निधियां जारी नहीं की गई थीं।
